



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

## नियोजन प्रकोष्ठ संबंधी जानकारी

विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालयादेश क्रमांक 003/2003/का.आ./02-170/2021

दिनांक: 26.08.2021 के अनुसरण में विश्वविद्यालय के नियोजन प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है।

शीघ्र ही दूर शिक्षा निदेशालय के विद्यार्थियों के लिए भी नियोजन की सुविधा लागू की जाएगी।

K. B. Salunkhe  
09/09/21